संस्कृति विभाग
(राज्य पुरातत्व निदेशालय)
उत्तर प्रदेश सरकार

"धरोहर अपनायें"

'अपनी धरोहर, अपनी पहचान'

स्मारकों एवं पुरास्थलों के विकास
के लिए परियोजना

एम.ओ.यू. और परियोजना के लिए दिशा-निर्देश

www.upculture.up.nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति विभाग

धरोहर अपनायें: 'अपनी धरोहर, अपनी पहचान'

स्मारकों/पुरास्थलों के विकास के लिए परियोजना

1. मूल आधार

उत्तर प्रदेश सदैव से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध रहा है। उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत एवं इसकी सांस्कृतिक विविधताओं के अदितीय मिश्रण के कारण लाखों की संख्या में पर्यटक्र प्रतिवर्ष यहाँ के पर्यटक्र गतव्य स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं। उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत स्पष्ट रूप से असंख्य मंदिरों, महलों, स्मारकों किलों आदि में स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित होती है।

प्रदेश के बहुसंख्य धरोहर स्थल बुनियादी तौर पर विभिन्न आधारभूत ढांचों और सेवा संपत्तियों के निर्माण व संचालन और रख-रखाव से जुड़ी सामान्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाओं के लिए एक मजबूत तन्त्र विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है और साथ ही साथ दीर्घकालिक आधार पर अत्यधिक विकसित सुविधाओं वाले तन्त्र का विकास करने की भी आवश्यकता है।

पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के सहयोग से आधारभूत ढांचे के विकास की अन्य योजनाओं के साथ सामजस्य बैठाने के लिए इस परियोजना की परिकल्पना की गई है जिससे राज्य में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के साथ ही साथ घरेलू पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी धरोहर पुरास्थलों पर सुविधाओं के विकास में तालमेल बैठाने, समग्र पर्यटन अनुभव को बढाने क्षेत्र का आर्थिक विकास करने में मदद मिल सके।

2. दृष्टि पत्र (विजन स्टेटमेंट)

संस्कृति विभाग (राज्य पुरातत्व निदेशालय) ने राज्य के पर्यटन विभाग के सहयोग से धरोहर स्थलों, स्मारकों और अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनायी है जिससे पर्यटन की क्षमता और उनके सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने की दिशा में एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से धरोहर स्थलो/पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा सके।

3. उद्देश्य

परियोजना के निम्नलिखित उदेश्य हैं

- धरोहर स्थलों पर और उनके आस-पास के क्षेत्र में उपयुक्त बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- धरोहर स्थलों/ स्मारकों पर समावेशी पर्यटन अनुभव।
- धरोहर स्थलों / स्मारकों पर स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना एवं देश के सांस्कृतिक और धरोहर मूल्यों को बढ़ावा देना।
- धरोहर स्थलों एवं स्मारकों पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करके पर्यटकों को आकर्षित करना।

- स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

- रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में इसके बहुमुखी प्रभावों के लिए पर्यटन की संभावनाओं के अवसर तलाशना।

- पर्यटन के लिए स्थायी ढांचा विकसित करना, उसका रखरखाव एवं समुचित संचालन सुनिश्चित करना।

4. दृष्टिकोण

संस्कृति विभाग (उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय) तथा पर्यटन विभाग के सहयोग से देश भर में विभिन्न धरोहर स्थलों / स्मारकों अथवा किसी अन्य पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तर की पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रहा है। समावेशी पर्यटन अनुभव प्रदान करने के अलावा यह उन्हें सम्यक मान्यता प्रदान करने और देश भर में समृद्ध और विविध धरोहर को संरक्षित करने में भी मदद करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) वर्तमान में 143 प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित कर रहा है जिससे उत्तर प्रदेश में इसकी समृद्धि बहुलता एवं विविधता की झलक मिलती है। ये स्मारक देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करके पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास का एक अभिन्न अंग हैं। इन स्मारकों की वास्तविक क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्राथमिक और उन्नत सुविधाएं, प्रकाश, पर्यटकों को सुरक्षा और सुरक्षा के साथ रात्रिदर्शन की सुविधा, पुरातत्व निदेशालय के अनुमन्य दिशा-निर्देशों के भीतर धरोहर स्थल के अनुकूल उपयोग और समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी।

उक्त परियोजना धरोहर स्थलों और स्मारकों की प्राथमिक सुविधाएं और पूर्ण संचालन व रखरखाव के लिए किसी निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों एवं व्यक्तियों (जिन्हें "स्मारक मित्र" के रूप में जाना जाएगा) को प्रथम 5 वर्षों के लिए सौंपे जाने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इसकी किसी भी समय समीक्षा की जा सकती है एवं नियमित निगरानी और पर्यटकों सहित सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया भी ली जा सकती है।

धरोहर स्थलों तथा स्मारकों हेतु विद्यमान सेवा स्तरों एवं आवश्यक स्थितियों में अंतर का आकलन किया जाएगा जो संस्कृति विभाग (उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय) तथा पर्यटन विभाग प्रस्तावित स्मारक मित्र का संयुक्त प्रयास होगा। धरोहर स्थल/स्मारक के चयन के लिए प्रस्तावित 'स्मारक मित्र' वे होंगे जो अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (Expression of Interest) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

स्थलों की सांकेतिक सूची में धरोहर स्थलों/स्मारकों को पर्यटकों के आवागमन और दृश्यता के आधार पर हरे, और नीले रंग में वर्गीकृत किया गया है। मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता का निर्धारण संपत्तिवार सेवा के स्तर के मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा। स्मारक मित्र प्रत्येक धरोहर स्थल, पर समस्त आवश्यक/अनिवार्य मूलभूत सुविधाओं तथा उन्नत सुविधाओं के विकास पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

बोलियो का मूल्यांकन प्राथमिक रूप से बोली लगाने वालों की क्षमता, पूर्व परियोजनाओं में उनकी सफलता, चयनित धरोहर स्थलों के लिए मूल्यवर्धन के आधार पर किया जाएगा। अभिनव बोली की यह अवधारणा दृष्टिकोण गत बोली के रूप में परिभाषित की गयी है।

5. प्रबंधन ढांचा

प्रबंधन ढांचे में निम्नलिखित समितियां एवं हितधारक होंगे जिनकी कार्य प्रणाली निम्नानुसार होगी :-

क. **अनवेक्षा** और दृक्शक्ति समिति :

1	सचिव/ प्रमुख सचिव (संस्कृति)	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, (पर्यटन)	सदस्य
3	विशेष सचिव, संस्कृति	सदस्य
4	निदेशक संस्कृति विभाग	सदस्य
5	निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय	समिति के संयोजन
6	अन्य विभागों के प्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग, राजस्व, न्याय, सिचाई तथा ग्राम विकास जिन्हें कार्य संचालन हेतु अपेछित होने पर सहयोजित किया जा सकता है।	सदस्य

भूमिका एवं उत्तरदायित :

● परियोजना के लिए दृक्शक्ति (दृष्टिकोण) प्रस्तुत करना और रोड मैप तैयार करना एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध करना।

● समस्त कार्य संचालनों का पर्यवेक्षण करने हेतु समन्वय करना और उक्त परियोजना के समग्र कार्य निष्पादन को अभिचारित करना समीक्षा तथा निगरानी करना और उक्त परियोजना से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

● दृक्शक्ति (दृष्टिकोण) बोली का संचालन करना और मूल्यांकन करने के पश्चात् बोली लगाने वालों से स्मारक मित्रो का चयन करना।

● परियोजना स्थलों के नियोजन, मंजूरी और निष्पादन का पर्यवेक्षण करना और उनकी की समग्र निगरानी भी करना।

● दिशा-निर्देशों और 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अथवा अनुपालन न किये जाने के किसी अन्य कारण से स्मारक मित्रो के एम.ओ.यू. को निरस्त करने की शक्ति।

ख. कार्यान्वयन समिति:

1	निदेशक, (संस्कृति)	अध्यक्ष
2	निदेशक, संग्रहालय निदेशालय	सदस्य
3	संयुक्त निदेशक, (संस्कृति)	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक, (पर्यटन)	सदस्य
5	अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लखनऊ मंडल, लखनऊ	सदस्य
6	निदेशक, (उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग)	संयोजक समिति का संयोजन

भूमिकाएं एवं उतरदायित्व:

● आवश्यक समाशोधन अनुमोदन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में चयनित स्मारक मित्रों का मार्गदर्शन करना।

● प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाओं की समय पर निगरानी एवं समीक्षा करना।

● पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना।

ग. स्मारक समितिः (संरचना और कार्य)

1	निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग	अध्यक्ष
2	उपनिदेशक, (संस्कृति)	सदस्य
3	उपनिदेशक, (पर्यटन)	सदस्य
4	उपनिदेशक, उ0प्र0 राज्य राज्य पुरातत्व विभाग	सदस्य
5	उत्खनन एवं अन्वेषण अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग	संयोजक सदस्य
6	सम्बन्धित क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग	सदस्य
7	स्मारक मित्र का प्रतिनिधि	सदस्य
8	उ०प्र० पर्यटन विभाग का संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	सदस्य

भूमिकाएं और उत्तरदायित्वः

● चयनित विरासत स्थलों/स्मारकों पर नियोजित व्यवधांनो को निष्पादित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

(चयनित स्मारक मित्रों की) कार्यों के क्रियान्वयन में निष्पादन कर्ता/क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों की सहायता करना।

● (चयनित स्मारक मित्रों की) विरासत स्थल/स्मारक के कार्य संचालन और अनुरक्षण कार्य में निष्पादनकर्ता/क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों की सहायता करना।

घ. स्मारक मित्र

दृक्षक्ति (दृष्टिकोण) बोली की प्रक्रिया के माध्यम से सफलतापूर्वक चयनित सार्वजनिकध्निजी क्षेत्र की कंपनियों या व्यक्तियों को परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर स्मारक मित्र के नाम से जाना जाएगा। स्मारक मित्रों की विभिन्न भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व नीचे यथा उल्लिखित है:-

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्वः

● समस्त विरासत स्थलों/स्मारकों के लिए विस्तृत दृक्षक्ति (दृष्टिकोण) बोली का दस्तावेज तैयार करना। जिनको वे ग्रहण करना चाहते है।

● स्मारक समिति से मार्गदर्शन लेते हुए आवश्यक अनुमोदन, समाषोधन तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।

● अनुमोदित दृक्षक्ति (दृष्टिकोण), प्रस्ताव और एम.ओ.यू. के अनुसार अपेक्षित स्तरों तथा मानकों वाली आस्तियों और सेवाओं से सम्बोधित सृजन कार्य प्रारंभ से अंत तक करना।

● सृजित आस्तियों संपत्तियों और सेवाओं का संचालन तथा अनुरक्षण कार्य करना।

● मध्यवर्ती प्रक्रम के सुधारों में कार्यान्वयन समिति की सहायता करना और समय≤ पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करना।

6. दृक्षक्ति (दृष्टिकोण) बोली

दृष्टिकोण से दृक्षक्तिगत बोली की अवधारणा सम्बन्धी विचार परिलक्षित होता है। परियोजना के अधीन प्रत्येक स्मारक हेतु स्मारक मित्रों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों और व्यक्तियों) को एक लचीला दृष्टिकोण पत्र तैयार करना होगा। तत्पष्चात् समस्त बोली लगाने वालो के दृष्टिकोण पत्रों का मूल्यांकन निश्चित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। बोली लगाने वालों को प्रत्येक स्मारक या

धरोहर स्थल के लिए विद्यमान स्थिति का विस्तृत विष्लेषण करने तथा दृष्टिकोणगत विकास करने की आवष्यकता है।

6.1 विद्यमान स्थिति का विश्लेषण

स्मारक मित्रों को स्मारक स्थलों के आंतरिक भाग तथा आस-पास की मूलभूत सुविधाओं को क्रियान्वित करना होगा। निम्नलिखित अध्ययन और अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान स्थिति जन्य विष्लेषण के अनिवार्य अंग होंगे:-

- पर्यटकों के आवागमन के विद्यमान एवं पूर्व परंपरा का आकलन।
- पर्यटकों के आवागमन का अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि के आधार पर आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं का विष्लेषण करना।
- रूख संबंधी के विश्लेषण और अनुमानों के आधार पर प्रस्तावित व्यवधान संबंधी पदचिन्हों को अंतिम रूप देना।
- प्रस्तावित व्यवधानो के लिए सुविधाओं और वास्तु क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारी को प्राथमिकता देना।
- उपलब्ध निधि बनाम प्रस्तावित सुविधाओं का विष्लेषण।

6.2 दृक्षक्ति (दृष्टिकोण) गत विकास

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों के पास प्रायः निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के लिए किये जाने वाले व्ययों की एक रणनीतिया॑ होती है। स्मारक मित्र को बोली लगाये जाने वाले प्रत्येक स्मारक और प्राचीन स्थल के लिए दृक्षक्ति (दृष्टिकोण) संबंधी विवरण और तत्संबंधी क्रियान्वयन रणनीति को अंतिम रूप देना होगा।

कतिपय मुख्य दृष्टिकोण निम्नवत् हैः-

- धरोहर स्थलों एवं स्मारकों पर घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि के साथ संतुलित विकास का लक्ष्य निर्धारित करना।
- धरोहर स्थलों एवं स्मारकों पर उत्कृष्ट पर्यटन सुविधाओं का उपबंध करना।
- स्वच्छता स्वच्छ और सुंदर धरोहर पर्यटन स्थल।

6.3 कार्य संचालन एवं अनुरक्षण योजना

स्मारक मित्र प्रत्येक स्मारक/धरोहर स्थल के लिए विस्तृत कार्य संचालन और अनुरक्षण की योजना प्रस्तुत करेंगे। योजना में निम्नलिखित मापदंडों को सम्मिलित किया जाना चाहिएः

- वर्तमान कार्य संचालन और अनुरक्षण का विवरण।
- स्मारक मित्र संपूर्ण स्मारक/स्थल को कार्य संचालन और अनुरक्षण के लिए लेना चाहते हैं अथवा नहीं।
- स्मारक मित्रों की संघटकों तथा निधियों के संदर्भ में कार्य संचालन तथा अनुरक्षण के अन्तर्गत अंषदान की मात्रा

6.4 दृश्यता की आवश्यकता एवं योजना

स्मारक मित्र को दृश्यता की आवश्यकता की विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी । उक्त योजना में निम्नलिखित विवरण होना चाहिएः

- दृश्यता की आवश्यकता

यह विश्लेषण करना कि क्या दृश्यता राज्य पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है तथा धरोहर स्थल स्मारक सौन्दर्य, स्थापत्य शैली तथा परिवेष क्षीण नहीं हो रहे हैं।

- दृश्यता की दृश्य-सामग्री

6.5 दृक् शक्ति (दृष्टिकोण) गत बोली

दृक् शक्ति (दृष्टिकोण) गत बोली का मूल्यांकन दृक् शक्ति (दृष्टिकोण) गत बोली में ऊपर उल्लिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

नीचे सारणी में प्रदत्त मानदण्डों के लिये सम्यक अधिमान प्रदान किया जायेगा।

क्र.सं.	'धरोहर अपनाओ' के अधीन स्मारक मित्रो के चयन के लिए मापदंड	भारण प्रतिशत में
1	विदमान परिस्थिति आवश्यकता संबंधी कमियों का विश्लेषण	10
2	दृक् शक्ति (दृष्टिकोण) गत विकास	35
3	कम दृश्यता एवं सीमित आवागमन वाले का अधिग्रहण	10
4	कार्य संचालन एवं अनुरक्षण योजना	25
5	दृश्यता की आवश्यकता एवं योजना	10
6	स्मारक मित्रो के प्रमाण-पत्र	10

टिप्पणीः जो स्मारक मित्र हरी श्रेणी के किसी स्मारक का चयन करेगा, उसको नीली श्रेणी में से कम से कम एक स्मारक का चयन करना अनिवार्य होगा। तथापि हरी श्रेणी में हुए बिना नीले रंग के किसी स्मारक को चुनने के लिए स्मारक मित्र के पास पूर्ण विकल्प होगा। नीली श्रेणी के स्मारकों की अधिक संख्या का चयन करने वाले हितवद्ध पक्षकारों को अपेक्षाकृत अधिक अधिमान प्रदान किया जायेगा। पी0एम0सी0 दृक्षक्ति (दृष्टिकोण) गत बोली प्रस्तुत करने और इसका मूल्यांकन करने तथा उक्त प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए विस्तृत चेकलिस्ट तथा टूलकिट तैयार करेगा।

7. चिन्हित धरोहर स्थल

उक्त परियोजना में धरोहर स्थल स्मारक और अन्य पुरातात्विक स्थल सम्मिलित किये गए हैं। धरोहर स्थलों एवं स्मारकों की सूची में चरणबद्ध ढग से कुछ धरोहर स्थलों/स्मारको को संशोधित करके रखा जा सकता है तथा उन्हें विस्तारित किया जा सकता है। जैसा कि दृष्टिकोण पत्र में चर्चा की गई है, स्मारकों की सांकेतिक सूची को दृश्यता और पर्यटकों के आवागमन के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। वर्गीकृत धरोहर स्थलों/स्मारकों की सांकेतिक सूची उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की वेबसाइट www.Culture.up.in पर अवलोकित की जा सकती है।

8. आस्तियों पर सेवा के स्तर के लिए उपयुक्त मानदंड

वर्तमान में कई धरोहर स्थलों एवं स्मारकों में बुनियादी पर्यटन सुविधाओं का अभाव है। धरोहर स्थलों और स्मारकों पर उत्क्रष्ट सुविधाओं को सुनिश्चित करने वाली पर्यटकों की आवश्यकताओं के अनुसार

बुनियादी और उन्नत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। परियोजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पर्यटन सुविधाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः

क. बुनियादी सुविधाएं

बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण पहलू हैं क्योंकि यह उस जगह की लोकप्रियता को बढ़ाता है। यह निरन्तर आगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मोखिक-प्रचार के जरिए विज्ञापन का भी काम करता है। पर्यटन स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का होना किसी भी पर्यटन के लिए उसका पहला और सबसे बड़ा अधिकार है क्योंकि स्मारक की हर एक यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। परियोजना की संरचना में बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। जिसमें उनका वित्तीय सभाव्यता (Financial Feasibility) अप्रासंगिक हो जाता है।

धरोहरों एवं स्मारकों के भीतर व आस-पास के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को निम्नलिखित रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है:

- सार्वजनिक सुख-सुविधाएं
- पहुंच में सरलता
- स्थलों की स्वच्छता एवं सौंदर्य
- प्रकाश व्यवस्था
- प्रदीप्तिमान सूचनापट्ट

बुनियादी सुविधाओं के विषय पर मुख्य सूची:

- अंतरराष्ट्रीय मानक की लोक सुविधाएं
- स्वच्छ पेयजल की सुविधा
- स्वच्छ स्मारक (स्मारक की स्वच्छता, प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध सहित)
- बाधा मुक्त स्मारक सवॆ सुलभता दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल शौचालय, रैम्प, व्हीलचेयर सुविधा, ब्रेल दिग्दर्शन, स्मारक प्रतिदर्श इत्यादि
- सूचनात्मक और दिशात्मक संकेत
- वाई-फाई
- ऐप आधारित बहुभाषी श्रव्य-संदर्शिका (Audio Guide)
- अमानती सामान घर, जूते-चप्पल की रैक/जूते-चप्पल के कवर, कपड़े धुलवाने की सुविधा आदि।
- नकदी-रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए टिकट खिड़कियों पर पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल (PoS) मशीनें जहां कहीं भी लागू हों।
- कैंटीन (स्थानीय कला और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने वाली स्मारिका दुकान के साथ)
- उन्नत सुविधाएं

उन्नत सुविधाओं का नियोजन चिन्हित स्मारक पर पर्यटक आवागमन और प्रस्तावित हस्तक्षेपों की वित्तीय संभाव्यता के अनुसार की जाएगी।

अन्य बातों के साथ-साथ उन्नत सुख-सुविधाओं की सूचीः

- कैफेटेरिया
- उत्तर प्रदेष राज्य पुरातत्व निदेशालय के अनुक्षेप मार्ग दर्षी सिद्धान्तों में अन्तर्गत अनुकूल उपयोग के अधीन स्मारकों पर रात्रि-दर्शन के लिए सुविधाएँ
- उन्नत निगरानी प्रणाली (जैसे पीटीजेड आधारित सीसीटीवी कैमरे)
- पर्यटन सुविधा सह भाषांतरण केंद्र (पर्यटक बहुउद्देष्यीय केन्द्र) जिसमें संग्रहालय, खरीददारी ध् स्मारिका की दुकान, अमानती सामान घर, शौचालय, पेयजल, मुद्रा विनिमय आदि जैसी सुविधाएं हैं।
- डिजिटल इंटरैक्टिव किऑस्क, डिजिटल (स्म्क्) स्क्रीनिंग
- नियमित सांस्कृतिक शो के साथ लाइट एंड साउंड शो
- बैटरी से चलने वाले वाहन
- स्मारकों की क्षमता के साथ जुड़ी हुई उन्नत पर्यटन प्रवाह प्रबंधन प्रणाली

स्मारक को अपनाने में रुचि रखने वाले स्मारक मित्रों से सभी चयनित स्मारकों के लिए ‘आवश्यकता संबंधी कमी का विश्लेषण’ करने की अपेक्षा की जायेगी। जो एक संयुक्त अभ्यास है। दृष्टिकोणबोली में प्रत्येक व्यक्तिगत स्मारक का मूल्यांकन प्रतिबिम्ति होना चाहिए। इसके अलावा बोली लगाने वालों को एक संकलन में सभी चुने हुए स्मारकों के लिए दृष्टिकोण गत योजना भी तैयार करनी होगी। उक्त दृष्टिकोण के अधीन प्रस्तावित सुविधाएं और रियायतें सेवा स्तरीय मार्गदर्षी सिद्धान्त के अनुसार होनी चाहिए।

9. स्मारक मित्रों के लिए प्रचार संबंधी मार्गदर्षी सिद्धान्त (दृश्य पहल)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख धरोहर स्मारक को अपनाने से जुड़े अभियान के अलावा स्मारक मित्रों को परियोजना के अधीन उनकी सी0एस0आर0 पहल सामाजिक जिम्मेदारी के बदले में अपने ब्रांड के प्रचार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसके लिए उन्हें निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति से मंजूरी लेनी होगी ।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी स्मारकों का रख-रखाव उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेष राज्य पुरातत्व विभाग के दास सांविधिक मार्गदर्षी सिद्धान्त और धरोहर उपविधियां है। प्रस्तावित प्रचार सामग्री की स्थापना इन सांविधिक मार्ग-दर्षी सिद्धान्तों के पालन में सख्ती से की जाएगी। स्मारक मित्रों की दृश्यता सांविधिक मार्गदर्षी सिद्धान्तों के ढांचे के भीतर होगी।

सुविधाओं के बदले में स्मारक मित्रों को दृश्यता प्रदान की जाएगी। उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रति सहायकी प्रतिदर्ष पर काम करने हेतु अतिरिक्त उपबन्ध भी दिया जाएगा।

10. अनुश्रवण

संपूर्ण कार्यक्रम ‘सेवा उन्मुख ’ होगा। धरोहर स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के लिए बुनियादी और उन्नत सुविधाओं का उपबन्ध सुनिश्चित किया जाएगा। मानकों के आधार पर रखे जाने से पूर्व सेवा परिदान के लक्ष्य पूर्व-निर्धारित होंगे और मापदंड के अनुरूप होंगे। अनुश्रवण से जुड़ी गतिविधियों को परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान और इसकी कार्य संचालन एवं अनुरक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा।

- निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति समय≤ पर नामानिर्दिष्ट अधिकारियों के माध्यम से परियोजना उक्त का अनुश्रवण करेगी।

- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के अनुश्रवण किये जायेंगे।

- स्मारक मित्र प्रत्येक माह् की पांचवीं तारीख तक पर्यटकों की प्रतिक्रिया के साथ सेवा परिदान रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

11. दृष्टिकोण एवं वित्तीय संरचना

एक स्थाई प्रतिदर्ष सूत्र सुनिष्चित करने के लिए परियोजना स्मारक मित्रों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कम्पनियों और व्यक्तियों) की सक्रिय भागीदारी पर है।

पूंजीगत और आवर्ती लागत का प्रमुख हिस्सा अनिवार्य रूप से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से आएगा जो वे अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के माध्यम से करेंगे। व्यक्तियों की भागीदारी भी वांछित है। पष्चातवर्ती चरणों में संसाधनों को विभिन्न निधिकरण मार्गों से और अन्य विभागों के साथ कार्यक्रमों के माध्यम से और योजनाओं के अभिसरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

स्मारक मित्र अपने व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी की गतिविधियों को धरोह्र स्थलों के गौरव से जोड़ सकते हैं और उसके आस-पास एवं उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के वेब पोर्टल पर भी सीमित दृश्यता प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12. परियोजना की अवधि

यह् परियोजना किसी भी समय कार्य निष्पादन प्रदर्शन की समीक्षा के अध्यधीन प्राथमिक रूप में 5 वर्ष के लिए क्रियान्वित करने हेतु असंतोषजनक कार्य निष्पादन और मार्गदर्षी सिद्धान्तों पालन न करने की स्थिति में एम.ओ.यू. समाप्त किये जाने योग्य होगा।

13. प्रबंधन योजना

स्मारक के अनन्तिम कार्य संचालन और अनुरक्षण लागत का पूर्वाकलन स्मारक मित्र द्वारा 'दृष्टिकोण बोली ' के समय किया जाएगा जैसा कि उनके 'दृष्टिकोण एवं वित्तीय संरचना ' प्रभाग में उल्लेख किया गया है और स्थायी कार्य संचालन एवं अनुरक्षण प्रतिदर्षी प्रारूप के लिए नवीन राजस्व सृजन विकल्पों के माध्यम से विकल्पों हेतु पूर्वाकलन के लिए जोर दिया जायेगा। सृजित आस्तियों का अनुरक्षण करने में संबंधित स्मारक मित्रों द्वारा तत्समान परियोजनाओं का परिदान करने का अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।

14. प्रत्याशित परिणाम

विभिन्न धरोहर स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं के प्रस्तावित विकास के परिणाम का नियमित रूप से मूल्यांकन तथा मापन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगाः

- पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि
- समग्र पर्यटन क्षेत्र की अवधारणा में सुधार
- रोजगार सृजन में वृद्धि

- मूल्य-वर्धित सेवाओं के साथ धरोहरों से जुड़े पर्यटन को बढ़ाने के लिए जागरूकता और कौशल विकास एवं क्षमता में वृद्धि
- चिह्नित स्मारक धरोहर स्थलों पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि

संलग्नक-1

समक्षौता ज्ञापन

यह समक्षौता ज्ञापन आज दिनांक.......................को

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका कार्यालय, छत्तर मंजिल परिसर, लखनऊ में है, जो अपने निदेशक के माध्यम से कार्य कर रही है, (जिसे आगे उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक अर्थ के सन्दर्भ में के प्रतिकूल न हो उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेषिती सम्मिलित हैं) प्रथम पक्षकार

और

(तृतीय पक्षकार होने के लिये निम्नलिखित में से किसी एक को चुने)

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका कार्यालय, सी-13, विपिन खंड, गोमती नगर लखनऊ में है, जो अपने महानिदेशक के माध्यम से कार्य कर रही है, जिसे आगे पर्यटन विभाग उ0प्र0 कहा गया है "अभिव्यक्ति में जब तक अर्थ के संदर्भ में प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेषिती सम्मिलित हैं, द्वितीय पक्षकार

और

जिला मजिस्ट्रेट----- जिला -----जिसका कार्यालय --------- में स्थित है, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से कार्य कर रहा है, (जिसे आगे जिला मजिस्ट्रेट.................कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक अर्थ के संदर्भ में प्रतिकूल उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेषिती सम्मिलित हैं) तृतीय पक्षकार (जो भी लागू हो चुनें)

और

----------जो कम्पनी/न्यास है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय....................में है, जो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि ....के माध्यम से कार्य कर रही है, बोर्ड का संकल्प दिनांक दृष्टव्य है (जिसे आगे स्मारक मित्र कहा है) चतुर्थ पक्षकार के मध्य निष्पादित किया गया।

चूकि ः

(क) संस्कृति विभाग, ने पर्यटन विभाग और राज्य पुरातत्व विभाग के सहयोग से 'स्मारक मित्र' के सहयोग से धरोहर स्थलों स्मारकों को अंगीकृत करने के लिए "धरोहर को अपनाएं" नामक परियोजना की घोषणा की है, जो निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति ' द्वारा विनिष्चित की गई विभिन्न मूलभूत और उन्नत सुविधाओं को उपलब्ध कराने और अनुरक्षित रखने के लिए धरोहर स्थलों स्मारकों को अंगीकृत करने में सक्षम बनाती है, जैसे यथा सार्वजनिक सुविधाएॅं, पेयजल, स्मारक की सफाई, सभी के लिए सुगमता, साइनेज, वाई-फाई, अमानती सामान गृह, प्रकाश और रात्रि अवलोकन, जलपान केन्द्र, निगरानी प्रणाली, पर्यटन सुविधा सह भाषान्तरण केन्द्र, डिजिटल इंटरैक्टिव कियोस्क, लाइट एंड साउंड शो आदि।

(ख) **चूॅंकि**:, अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्य निवेश मॉडल के माध्यम से स्मारक मित्र 'धरोहर को अपनाएं ' परियोजना के अधीन धरोहर स्थल/रक को लिया जाना चाहता है।

(ग) **चूकि**: इस परियोजना में प्रस्तावित स्मारक/स्थल नोडल विभाग के पर्यवेक्षणाधीन हैं----------------(तृतीय पक्षकार/परिसम्मति स्वामी)।

1 **निदेष**

1.1 ''नोडल विभाग 'का' तात्पर्य राज्य पुरातत्व विभाग, उ0प्र0 से है।

1.2. ''लागत 'का' तात्पर्य किसी विकास योजना को तैयार करने से है जो प्राक्कलन में यथा अन्तर्विष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है।

1.3. ''विकास 'का' तात्पर्य निर्माण, भूनिर्माण, रोशनी, संचालन और अनुरक्षण गतिविधियों से संबंधित है, जो सुविधाओं और पर्यटन सुविधाओं के उपबन्ध, विकास और अनुरक्षण से संबंधित हैं।

1.4. ''पर्यटक सुविधाओं 'का' तात्पर्य ऐसी विभिन्न आवश्यक और अनुभवात्मक पर्यटक सुविधाओं से है जो पर्यटक को प्रदान किये जाने हेतु तात्पर्यित है। उक्त सुविधाओं को परियोजनागत मार्गदर्षी सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाषित किया जा सकता है।

(अ) **मूलभूल सुविधाएं**

मूलभूत सुविधाएं महत्वपूर्ण पहलू हैं क्योंकि इससे स्थान की लोकप्रियता में वृद्धि होती है, प्रोत्साहनात्मक पहलू के रूप में इससे बार-बार यात्रा करने में सुगमता होती है और उसका मौखिक रूप में प्रचार होता है। किसी विरासत स्थल की मूलभूत सुविधाएं पर्यटक के लिए सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि स्मारकों की प्रत्येक एकल यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। परियोजनागत संरचना में वित्तीय संभात्यता पर ध्यान दिये बिना मूलभूत सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं।

धरोहर स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया गया हैः

- सार्वजनिक सुविधाए
- प्रवेश में सुगमता
- स्थलीय सौन्दर्य और स्वच्छता

- प्रकाश
- बैकलिट साइनेज
- नकदीरहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए टिकट पटलों पर प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल (च्वै) मशीनें

बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ प्रतिनिधि सूची

- सार्वजनिक सुविधाएॅ
- स्वच्छ पेयजल की सुविधाएॅ
- स्वच्छ स्मारक (स्मारक स्वच्छता, पूर्ण पॉलिथीन प्रतिबंध सहित)
- अवरोध मुक्त स्मारक सभी के लिए सुलभताः दिव्यांग जन के अनुकूल शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर सुविधा, ब्रेल साइनेज, धरोहर स्थल ध् स्मारक मॉडल
- सूचनात्मक और दिशात्मक संकेत
- वाई-फाई
- ऐप आधारित बहुभाषी ऑडियो-गाइड।
- क्लॉक रूम, शू-रैक/कवर, वॉशिंग सुविधा आदि।
- स्थानीय कला और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने वाली मूलभूत स्मारिका की दुकान
- प्रकाष

(ब) उन्नत सुविधाएं

उन्नत सुविधाएं चिन्हित स्मारक पर्यटक आवागमन और प्रस्तावित मध्यक्षेपों की वित्तीय संभाव्यता के अनुसार नियोजित की जायेंगी।

अन्य बातों के साथ-साथ उन्नत सुविधाओं की सूचीः

- स्नैक काउंटर।
- राज्य पुरातत्व निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अधीन स्मारकों के लिए रात्रि-पर्यटन की सुविधा।
- उन्नत निगरानी प्रणाली (यथा पीटीजेड आधारित सीसीटीवी कैमरें की तरह)।
- पर्यटक सुविधा सह भाषान्तरिण केंद्र (पर्यटक बहुदेष्षीय केन्द्र) जिसमें संग्रहालय, आधारभूत स्मारिका दुकान, स्नैक काउंटर, क्लोकरूम, शौचालय, पेयजल, मुद्रा विनिमय आदि जैसी सुविधाएं हों।
- नियमित सांस्कृतिक प्रदर्षनी के साथ प्रकाष और ध्वनि प्रदर्षनीे।
- बैटरी से चलने वाले वाहन।

1.5. ‘‘अर्ध वाणिज्यिक गतिविधि ‘ का’ तात्पर्य है स्थल के कार्य संचालन के लिए किसी सहायक गतिविधि से है जिसमें साउण्ड एण्ड लाइट शो बेसिक सौनिर शाप, आडियो गाइड, स्नैक काउन्टर, गोल्फ कार्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाई-फाई आदि सम्मिलित हैं जो समझौता ज्ञापन के अधीन अंगीकृत स्थल पर कार्य संचालन एवं अनुरक्षण तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को बनाये रखने हेतु आवष्यक है।

1.6. 'धरोहर स्थल ' का' तात्पर्य है मनुष्य के कार्यों या प्रकृति और मनुष्य के संयुक्त कार्यों तथा ऐसे क्षेत्रों से है जिसमें पुरातात्विक स्थल सम्मिलित हैं, जो ऐतिहासिक, सौन्दर्यात्मक, नृक्ष विज्ञानीय या मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं। परिभाषा में निम्नलिखित श्रेणियां सम्मिलित है::

1.6.1. ''स्मारक 'का' तात्पर्य है स्थापत्य कार्यों, स्मारकीय षिल्प कार्यों और पेंटिंग, पुरातात्विक प्रकृति के तत्व या संरचनाएं, शिलालेख, गुफा आवास और ऐसी सुविधा संयोजन से है, जो इतिहास, कला या विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं। यहां स्मारक का संदर्भ संस्कृति विभाग (उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग) द्वारा सूचीबद्ध पुरातात्विक महत्व के स्थलों से है।

1.7. ''धरोहर स्थलो/स्मारकों 'का' तात्पर्य उन स्मारकों से है जिन्हें 'निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति' द्वारा 'धरोहर को अपनाएं ' परियोजना के अधीन चिन्हित गया है, और, अन्य स्थालों को निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति के अनुमोदन के बाद सम्मिलित किया जाए।

2. अब यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित का साक्षी है:-

2.1. स्मारक मित्र निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) की पहलध्अन्य निवेश या वित्तीय मॉडल जिसमें आंतरिक और बाहरी अभिवृद्धि सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी प्रकार के लागत के बिना स्मारक/धरोहर स्थल को अंगीकृत करने का इच्छुक है, तदनुसार----------------- को चिन्हित किया है। (स्मारक/धरोहर स्थल/पर्यटन स्थल का नाम) और नोडल विभाग (जिसे आगे ''परियोजना' ' कहा जाएगा) के परामर्श से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना चाहता है।

2.2. निगरानी तथा दृष्टिकोण समिति ने स्मारक मित्र द्वारा प्रस्तावित धरोहर स्थल/स्मारक की विकासात्मक गतिविधियों के लिए सहमति व्यक्त की है।

2.3. इस समझौता के प्रयोजन के लिए, स्मारक मित्र द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं/रिआयतों का विवरण नीचे दिया गया हैः

मूलभूत सुविधाएं
उन्नत सुविधाएं

(स्मारक मित्र इस समक्षौता ज्ञापन की अवधि तक उपयोगिता देयकों के भुगतान सहित परियोजना के एक हिस्से के रूप में ली गई सुविधाओं के पूर्ण निष्पादन, संचालन और रखरखाव के लिए सहमत है।)

2.4. स्मारक मित्र इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर एक व्यापक योजना तैयार करेगा। स्थल पर वास्तविक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत योजना को नोडल एजेंसी के साथ साझा किया जाना आवश्यक है। स्मारक मित्र निष्पादन कार्य सीधे करेगा या अपने और नोडल विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन किसी सक्षम अभिकरण के माध्यम से कार्य को बाहरी स्त्रोत से कराएगा।

2.5. निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति समुचित स्थान पर साइनेज/पट्टिका आदि के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों के प्रति स्मारक मित्र द्वारा योगदान को अभिस्वीकृत करेगी। साइनेज/पट्टिका आदि का

स्थापन, अन्तर्वस्क और आकार का विनिष्चय निगरोणी व दृष्टिकोण समिति 'के साथ यह सुनिष्चित करते हुए पारस्पकि सहमति से किया जाएगा कि वह स्मारकों और स्थलों के परिवेश के सौन्दर्यात्मक मूल्य के अनुरूप हों। प्रस्तावित दृश्यता आवश्यकता का विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

2.6. स्मारक मित्र द्वारा किए जाने वाले कार्य अनुसूची का विवरण अनुलग्नक- प् के अनुसार है।

2.7. गतिविधियों के कार्य ध् निष्पादन से राज्य पुरातत्व विभाग या उसके प्रतिनिधि को स्मारक में या आगंतुकों के मुक्त आवागमन में या अन्य कार्यों को करने में कोई बाधा नहीं होगी।

2.8. स्मारक मित्र, उत्तर प्रदेष प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल तथा अवषेष संरक्षण अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. वित्तपोषण और अनुसूची बनाना

3.1. स्मारक मित्र किसी सरकारी निकाय या विभाग को निधि अंतरित करने के बजाय समिति द्वारा अनुमोदित गतिविधियों को संचालित करने और अनुरक्षित रखने के लिए सहमत है।

3.2. स्मारक मित्र यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने और अनुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराया जाए।

3.3. कर्मचारियों के कार्य निष्पादन कार्य की गुणवत्ता, कार्य संचालन तथा अनुरक्षण, पर्यटक प्रतिक्रिया तथा पर्यटन पर प्रभाव आदि की वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन अंगीकरण अवधि प्रारम्भिक 5 वर्षों के लिये है।

3.4.स्मारक मित्र अंगीकरण अवधि के दौरान यह स्वीकार करता है जनता से संग्रह शुल्क, सुविधा शुल्क आदि के रूप में कोई राजस्व जनित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि कोई शुल्क प्रभावित करने की योजना है तो यह समझौता ज्ञापन के सुसंगत सरकारी पक्षकारों के एमओयू की विशिष्ट अनापत्ति के अधीन होगा। प्रस्तावित गतिविधियों के माध्यम से जनित किसी राजस्व को अंगीकृत स्मारक/स्थल पर विकास कार्य, संचालन और अनुरक्षण के लिए वापस रखा जाना चाहिए।

4. अर्द्ध व्यावसायिक गतिविधियां - दरो का औचित्त एवं सेवाओं के मानक

4.1 सेवाओं के अपेक्षित मानक के अनुपालन को सुनिश्चित करने की प्राथमिक उत्तरदायित्व स्मारक मित्र की होगी।

4.2. सेवा उपबंध हेतु प्रभावित दरों की देयता, यदि कोई हो, का विनिष्चय, संस्कृति विभाग और स्मारक मित्र की प्रतिनिधियों वाली उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति किया जाएगा। उक्त समिति, स्मारक मित्र द्वारा सेवाओं के मानक के मानक का भी अनुश्रवण करेगी।

4.3. उक्त परियोजना के लिए एक पृथक समर्पित खाता स्मारक मित्र द्वारा खोला और संचालित किया जाएगा। अर्द्ध वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से और उक्त परियोजना से संबंधित किसी अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप से जनित कोई राजस्व, जिसे निगरानी व दृष्टिकोण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो, इस समर्पित खाता में जमा किया जाएगा। उद्भूत अवषिष्ट ब्याज यदि कोई हो, को भी इस खाता में प्रतिधारित किया जायेगा। उक्त निधियों का अभिनियोजन चुने हुए स्मारकों/स्थलों के संचालन और अनुरक्षण संबंधी क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा और उनका उपयोग पूंजीगत व्यय को पुनर्प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाएगा। पष्च कार्यसंचालन तथा अनुरक्षण कार्य और अधिषेष निधियों, यदि कोई हों, का अभिनियोजन केवल निगरानी तथा दृष्टिकोण समिति के पूर्व अनुमोदन से पर्यटन सुविधाओं के भावी विकास के लिए किया जायेगा। समझौता ज्ञापन अवधि के समाप्त होने या पूरा होने अथवा स्मारक मित्र पष्च समझौता ज्ञापन अवधि के विच्छेदित होने की स्थिति में खाता में अधिषेष/अतिषेष राजस्व

को अन्तरित किया जाना अपेक्षित है और उसका अभिनियोजन वांछित स्थलों के कार्य संचालन तथा अनुरक्षण क्रियाकलापों और विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को प्रतिधारित करने के लिये किया जायेगा।

4.4. स्मारक मित्र से किसी जेम पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपने समर्पित खाते को त्रैमासिक रूप से लेखा परीक्षित कराना अपेक्षित होगा और वह नोडल विभाग को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित और हस्ताक्षरित खातों का विवरण प्रस्तुत करेगा। इसे लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापित किया जाएगा कि किसी विषिष्ट स्थल की अर्द्ध वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए संग्रहीत धनराषियों का उपयोग केवल अंगीकृत स्थल पर अनुमोदित पर्यटन सुविधाओं के संचालन और अनुरक्षण/विकास के प्रयोजन से किया गया है।

4.5. पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इस समझौता ज्ञापन से किसी भी तरह से स्मारक/विकासात्मक गतिविधियों की विधिक प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सदैव नोडल विभाग के साथ निहित रहेगा।

5. समझौता ज्ञापन की अवधि

5.1. यह समझौता ज्ञापन, कार्य प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जो निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति की सिफारिश पर अग्रेत्तर पाॅच वर्ष के लिए कर्मचारी वर्ग के कार्य निष्पादन कार्य गुणवत्ता, कार्य संचालन एवं अनुरक्षण, पर्यटक प्रतिक्रिया तथा पर्यटन पर प्रभाव आदि की समय समय पर समीक्षा के आधार पर बढाया जा सकता है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर, कार्य की गुणवत्ता, संचालन और रखरखाव, पर्यटन प्रतिक्रिया, पर्यटन पर प्रभाव आदि। समय≤ पर समीक्षा के आधार पर 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए विस्तार योग्य होगा।

5.2. नोडल विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की स्थिति में, समझौता ज्ञापन की अवधि ऐसे विलम्ब के बराबर की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।

6. प्रबंधन संरचना

प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित समितियां और हितधारक सम्मिलित होंगे जिनकी कार्यप्रणाली निम्नवत् होगी : -

क. निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति: समिति की संरचना

1	प्रमुख सचिव/सचिव (संस्कृति)	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, (पर्यटन)	सदस्य
3	विशेष सचिव, संस्कृति	सदस्य
4	निदेशक संस्कृति विभाग	सदस्य
5	निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग	समिति का संयोजक
6	लोक निर्माण विभाग, राजस्व, न्याय, सिचाई तथा ग्राम विकास विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य

भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

● उक्त परियोजना के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करना और रोड मैप तैयार करना एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध करना।

● समस्त कार्य संचालनों की निगरानी हेतु समनव्य करना और उक्त परियोजना के समग्र कार्य निस्पादन समग्र प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना तथा परियोजना से संबंधित विशिष्ट बिन्दुओं पर मार्ग दर्शन करना।

- 'दृष्टिकोण बोली' का संचालन करना और बोली लगाने वालों का मूल्यांकन करके स्मारक मित्र का चयन करना।
- परियोजना स्थलों के नियोजन, अनुमोदन और निष्पादन की निगरानी करना और समग्र निगरानी भी करना।

ख. कार्यान्वयन समिति :

समिति की संरचना

1	निदेशक, (संस्कृति)	अध्यक्ष
2	निदेशक, संग्रहालय निदेशालय	सदस्य
3	संयुक्त निदेशक, (संस्कृति)	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक, (पर्यटन)	सदस्य
5	अधीक्षण पुरातत्वविद, ए०एस०आई० लखनऊ मंडल, लखनऊ	सदस्य
6	निदेशक, (उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग)	समिति का संयोजक

भूमिकाए एवं उत्तरदायित्व :

- आवश्यक अनापत्ति, अनुमोदन और अनापत्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि प्राप्त करने में चयनित स्मारक मित्रों का मार्गदर्शन करना।
- प्रत्येक धरोहर स्थल/स्मारक के 'संयुक्त निरीक्षण' के प्रयोग में स्मारक मित्र की सहायता करना।
- प्रस्तावित एवं चल रही परियोजनाओं की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा करना।
- पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और राज्य पुरातत्व विभाग के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना।

ग. स्मारक समिति: (रचना और कृत्य) :

1	निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व, विभाग	अध्यक्ष
2	उपनिदेशक, (संस्कृति)	सदस्य
3	उपनिदेशक, (पर्यटन)	सदस्य
4	उपनिदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व, विभाग	सदस्य
5	उत्खनन एवं अन्वेषण अधिकारी, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग	संयोजक
6	सम्बन्धित क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग	सदस्य
7	स्मारक मित्र के प्रतिनिधि	सदस्य
8	उ०प्र० पर्यटन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	सदस्य

भूमिकाए एवं उत्तरदायित्व :

- चयनित धरोहर स्थलों/स्मारकों पर सुनियोजित मध्यक्षेपों को निष्पादित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

● (चयनित स्मारक मित्र की) कार्यों के क्रियान्वयन में कार्यान्वयनध्क्रियान्वयन अभिकरणों की सहायता करना।

● (चयनित स्मारक मित्र के) धरोहर स्थलों/स्मारकों/पर्यटन स्थलों के कार्य संचालन और अनुरक्षण कार्य में कार्यान्वयन/क्रियान्वयन की सहायता करना।

घ. **स्मारक मित्रः**

'दृष्टिकोण बोली ' की प्रक्रिया के माध्यम से सफलतापूर्वक चयनित सार्वजनिकध्निजी क्षेत्र की कंपनियों या व्यक्तियों को परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर स्मारक मित्र के नाम से जाना जाएगा। स्मारक मित्र की विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्व को नीचे उल्लिखित किया जायेगा।

भूमिकाएं और उत्तरदायित्वः

● उन समस्त धरोहर स्थलों व स्मारकों के लिए विस्तृत दृष्टिकोण बोली दस्तावेज तैयार करना जिन्हें अंगीकृत करने की उन्होंने योजना बनायी है।

● स्मारक समिति से मार्गदर्षन प्राप्त करते हुए आवष्यक अनुमोदन अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करना।

● अनुमोदित दृष्टिकोण, प्रस्ताव और समझौता ज्ञापन के अनुसार अपेक्षित स्तरों तथा मानकों वाली आस्तियों तथा सेवाओं के सृजन का प्रारम्भ से अंत तक कार्य करना।

● सृजित आस्तियों और सेवाओं के कार्य संचालन तथा अनुरक्षण का सम्पूर्ण कार्य करना।

● मध्यवर्ती प्रक्रम के सुधारों में क्रियान्वयन समिति की सहायता करना और समय≤ पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहना।

अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

7.1. इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याषित घटना का तात्पर्य ऐसी किसी घटना से है जो किसी पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे है, और जो किसी पक्ष के अपने दायित्वों के निष्पादन को असंभव बना देता है या जो कुछ परिस्थितियों में असंभव माना जाता है जिसमें केवल युद्ध, दंगे, नागरिक उपद्धव, भूकंप, अग्नि, विस्फोट, तूफान, बाढ़ या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति, हड़ताल, तालाबंदी या अन्य घरेलू कार्रवाई (जहां उन बातों के सिवाय जहाॅ इस तरह के हडताल, तालाबंदी या अन्य घरेलू कार्यवाही अप्रत्याषित घटना को रोकने का आहवान करने वाले पक्ष की शक्ति के भीतर है।) सरकारी अभिकरणों द्वारा कोई अन्य कार्यवाही सम्मिलित है किन्तु के वहीं तक सीमित नहीं है।

7.2 अप्रत्याशित घटना में निम्नलिखित बाते सम्मिलित नहीं होंगीः

क) ऐसी कोई घटना जो किसी पक्ष पार्टी या ऐसे के उपठेकेदारों या अभिकर्ताओं या कर्मचारियों की लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण होती हैय

ख) ऐसी कोई घटना, जो किसी मेहनती पक्ष से यथोचित उम्मीद की जाती हैः

1. इस अनुबंध के समापन के समय ध्यान में रखें, और

2. यहां दिए गए अपने दायित्वों को पूरा करने से बचें या दूर भागें।

8. दिशा-निर्देशों का प्रवर्तन

8.1 उक्त योजना के मार्गदर्षी सिद्धान्त संविदा की सम्पूर्ण अवधि तक के लिये प्रवर्तित होंगे।

9. **समापन**

9.1 यह समझौता ज्ञापन एक बार संचालन में आने के बाद तब तक पूरी तरह लागू रहेगा जब तक कि इसे समाप्त न कर दिया जाए।

9.2 इस समझौता ज्ञापन को किसी पक्ष द्वारा अन्य पक्षों को आषयित समापन के लिए लिखित में अन्यून छः माह से नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। जिन पक्षों का समापन नहीं होगा वे पार्टियां अपने मध्य नए समझौता ज्ञापन के लिए फिर से बातचीत करने हेतु स्वतंत्रता होंगी, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार समाप्त होने वाले पक्ष को सम्मिलित करने की अनुज्ञा हो।

9.3 आपवादिक परिस्थितियों और / या लोक हित में, संस्कृति विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से समझौता ज्ञापन को समाप्त करने का अधिकार रखती है।

10. **विवाद समाधान**

10.1 समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का निपटारा चर्चा द्वारा किया जायेगा, और जिसमें विफल रहने पर, निगरानी एवं दृष्टिकोण समिति का विनिष्चय अंतिम होगा और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

11. **विधिक अधिकारिता को शासित करना**

11.1 उक्त समझौता ज्ञापन उत्तर प्रदेश की विधियोंध्नियमों और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित विधि के अनुसार शासित होगा और तद्नुसार सत्य माना जायेगा ताि ि प्रवर्तित होगा। इस समझौता ज्ञापन द्वारा अनुध्यात संव्यवहारों के संबंध में किसी एक पक्ष द्वारा अन्य पक्ष के विरूद्ध लाई गयी कोई कार्यवाही केवल लखनऊ के न्यायालयों मेंया सम्बन्धित जिलों में अवस्थित न्यायालयों में लायी जायेगी। इस करार पर हस्ताक्षर करने वाले समस्त पक्षों तथा व्यक्तियों को ऐसे न्यायालयों की अधिकारिता प्रस्तुत करने हेतु सहमत है।

12. **क्षतिपूर्ति खंड**

12.1 स्मारक मित्र यहां परिभाषित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के निष्पादन में पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए सहमत हैं। इसमें परिभाषित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के उपबन्ध में स्मारक मित्र, क्षतियों हेतु किसी दावा के विरूद्ध, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग सम्पत्ति स्वामी को किसी तृतीय पक्ष द्वारा उनके विरूद्ध लाये गये किन्हीं दावीं या कार्यवाहियों, जो समझौता ज्ञापन के अनुसरण में स्मारक मित्र द्वारा सम्पादित क्रियाकलापों से उत्पन्न होती है, के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतियों हेतु किसी दावा के विरूद्ध क्षति रहित धारित करेगा।

13. **प्रचार और जागरूकता**

13.1 संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेष राज्य पुरातत्व विभाग/सम्पत्ति अधिकारी को इसमें अनुध्यात क्रियाकलापों के संबंध में कोई विज्ञापन, प्रेस रिजील या कोई अन्य सार्वजनिक विवरण जारी करने से पूर्व उचित अवधि के भीतर समीक्षा करने का अधिकार होगा संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग सम्पति अधिकारी को प्रेस रिलीज/प्रकाषन से पूर्व उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी और इस तरह के विज्ञापन, सार्वजनिक विवरण या प्रेस रिलीज के प्रकाशन पर टिप्पणी करने या उसे संशोधित या करने के लिए कम से कम सात दिन का समय दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य में उक्त पक्षों ने इस समझौता ज्ञापन पर अपने-अपने हस्ताक्षर ऊपर प्रथमतः उल्लिखित दिनांक, माह और वर्ष में किये हैं।

1. **उपरोक्त प्रथम पक्ष के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किया गया और परिद्दत किया गया**

नाम : . . . .

पदनाम : . . . .

साक्षी

(i)..

(ii)..

2. **उपरोक्त द्वितीय पक्ष के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किया गया और परिद्दत किया गया**

नाम : . . . .

पदनाम : . . . .

साक्षी

(i) ....

(ii) ....

3. उपरोक्त तृतीय पक्ष के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किया गया और परिद्दत किया गया

नाम : . . . .

पदनाम : . . . .

साक्षी

(i) ....

(ii)..

4. उपरोक्त चतुर्थ पक्ष के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किया गया और परिद्दत किया गया

नाम : . . . .

पदनाम : . . . .

साक्षी

(i) ....

(ii)..

अनुलग्नक 1: _________________ (स्मारक का नाम) के लिए समय सूची

क्रम सं.	मूलभूत सुविधाएं	समय
1		
2		
3		
4		
	उन्नत सुविधाएं	
6		
7		

कार्य प्रारंभ होने का दिनाक

(स्मारक मित्र, परियोजना के एक भाग के रूप में ग्रहण की गई सुविधाओं का पूर्ण क्रियान्वयन, संचालन और अनुरक्षण करने के लिए सहमत है, जिसमें इस समझौता ज्ञापन अवधि के लिए उपयोगिता देयकों का भुगतान सम्मिलित है।

अनुलग्नक-2 ....(स्मारक का नाम) के लिये प्रस्तावित दृष्यता की आवश्यकता।

यह इंगित करते हुए चेतावनी संकेतक पर सीमित दृश्यता स्मारक में विहित किया जाएगा कि उक्त स्मारक .... (स्मारक मित्र का नाम) द्वारा विवेकपूर्ण और सुरूचिपूर्ण तरीके से, उत्तर प्रदेश सरकार की 'धरोहर को अपनाओ' परियोजना को अंगीकार कर लिया गया है। मानकीकृत चेतावनी संकेतक का आकार और अभिकल्प का अनुमोदन स्थल पर स्थापना से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना हैं।